



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
(सीकर-झुन्डुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर-332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं: 01572-232411

क्रमांक: 4269

दिनांक: 04/07/2022


प्राचार्य,
समस्त अकादमिक महाविद्यालय
सीकर एवं झुन्डुनू।

विषय:-विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की प्रायोगिक परीक्षाओं का मूल्यांकन प्रायोगिक फाईल/एसाइनमेंट के आधार पर किया जायेगा। अतः आपके महाविद्यालय के विद्यार्थियों से 11.07.2022 तक प्रायोगिक फाईल/असाइनमेंट तैयार कर महाविद्यालय में जमा करवा लिये जावे, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षक भेजकर उनका मूल्यांकन करवा सके।

प्रायोगिक परीक्षा की उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) विश्वविद्यालय पोर्टल पर डाल दी गई है। विद्यार्थियों से फाईल जमा लेते समय उनकी उपस्थिति लेना सुनिश्चित करावें। किसी भी परीक्षार्थी से प्रायोगिक परीक्षा के नाम से कोई अवैध राशि वसूल ना करें।


कुलसचिव



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(सीकर-शुंघुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर-332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: 42.68

दिनांक: 04/07/2022

समस्त प्राचार्य,
सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय:-स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी) समस्त कक्षाओं की प्रायोगिक/आन्तरिक विषयों की परीक्षा-2022 के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी) समस्त कक्षाओं की प्रायोगिक/आन्तरिक परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा। अतः इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी सुनिश्चित करें:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाईल/असाइनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जावे जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिगत: उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, viva-voce Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय द्वारा करवाया जावे। जिन पाठ्यक्रमों में आन्तरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाईल/असाइनमेंट/ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जावे।
2. बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई फाईल/असाइनमेंट को महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाये। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर इसे मांगा जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिये गये कुल पूर्णांकों में से परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किया जावें।
4. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा।
5. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा उसे Decline किया जावेगा एवं इसकी सूचना ई-मेल आई.डी. ce.pdsusikar@gmail.com पर भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. परीक्षक के परीक्षा लेने से मना (Declined) करने पर उसकी सूचना मय साक्ष्य कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाये। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त सूचना के गलत पाये जाने पर व

5/16/22

परीक्षक से बिना संपर्क किये ही मना (Declined) करने पर महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।

7. प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावे। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

8. अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना-पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण का विवरण देते हुये विश्वविद्यालय में सम्पर्क करने हेतु सूचित किया जावे।

9. महाविद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंको को निर्धारित अवधि में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्व छात्रों के अंको को मैनूअल/ऑफलाईन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जाता है तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली कार्यवाही हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।


10. प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किये गये हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्डस परीक्षक पैनल पर संबंधित कक्षा के उपलब्ध लिंक (Additional/New/TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जावेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।

11. परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड भरे जाने पर पोर्टल से ही पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जावेगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर सत्यापित किये जाने पर परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जावेगा। पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर के परीक्षक को दिया जावेगा, जिन्हे परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से संबंधित आई.डी. प्रुफ, आधार कार्ड एवं PAN कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

12. महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि किसी बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित ना किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर संबंधित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूली जावेगी। साथ ही उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

13. प्रायोगिक कार्य हेतु एक बाह्य परीक्षक नियमानुसार अधिकतम 100 परीक्षार्थियों की परीक्षा ही संपन्न करवायेंगे। यदि किसी कक्षा में अधिकतम परीक्षार्थियों की संख्या 119 तक है तो वही परीक्षक इन अतिरिक्त परीक्षार्थियों (अधिकतम 119 तक) की परीक्षा आयोजित करवायेंगे। परीक्षार्थियों की संख्या 120 होते ही अतिरिक्त बाह्य परीक्षक लगवाया जाना सुनिश्चित करें।

14. प्रायोगिक परीक्षा व अवार्ड भरने के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हैल्पलाईन नम्बर 7398532208 पर सम्पर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में अविलम्ब विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ई-मेल ce.pdsusikar@gmail.com व दुरभाष




नम्बर 9887024574 सहायक कुल सचिव (गोपनीय) पर सूचित करें एवं प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जावे।

15. महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक का ऑफलाइन बिल सत्यापित ना करें। इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाइन जनरेट बिलों में भी किसी प्रकार के हस्तलिखित तौर (Manually) पर परीक्षार्थियों की संख्या/अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।

16. प्रायोगिक परीक्षाएँ व प्रायोगिक परीक्षा के अंको को ऑनलाइन पोर्टल/हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्पन्न/दर्ज नहीं करवाये जाने पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

17. कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः प्रोटोकॉल/एडवाइजरी की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करें।



(डॉ. अरिन्दम बासू)
परीक्षा नियंत्रक